



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102025-267250
CG-DL-E-29102025-267250

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947

No. 704]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 788(अ).— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और उसके संरक्षण का संप्रवर्तन करने और आज्ञापक करने के लिए अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (जिसे इसमें इसके पश्चात् ब्यूरो कहा गया है) को उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय के रूप में उपबंध करता है;

और उक्त अधिनियम की धारा 26 धारा 13क की उपधारा (1), धारा 14 के खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ज) या खंड (झ) या खंड (ट) या खंड (थ), धारा 15 के खंड (ग) या खंड (ज) और धारा 52 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता की दशा में शास्ति का उपबंध करती है;

और उक्त अधिनियम की धारा 27 न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करती है और धारा 28 न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार में ली जाने वाली बातों का उपबंध करती है;

और न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने की कठिनाइयों से बचने के लिए, ब्यूरो को राज्य आयोग द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष अननुपालन विषयों का पता लगाने, सत्यापन करने, निर्धारण करने और प्रस्तुत करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक या समीचीन हो गया है;

और इस आशय की प्रारूप अधिसूचना जनता के परामर्श के लिए तारीख 4 अगस्त, 2025 को भारत के राजपत्र में सम्यक रूप से प्रकाशित की गई थी;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में जनता से आक्षेप और सुझाव प्राप्त किए गए हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 के खंड (प), धारा 13 क, धारा 14, धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) और धारा 52 के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ड) और (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, ब्यूरो के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना- ये नियम निम्नलिखित इकाइयों पर लागू होंगे, अर्थात्: –
(क) धारा 13क में निर्दिष्ट व्यक्ति;
(ख) धारा 14 के खंड (ग) में उल्लिखित विनिर्माता या आयातक, धारा 14 के खंड (द) और खंड (भ) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अभिहित उपभोक्ता।
3. मान और मानक - (1) ब्यूरो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मानों और मानकों के अनुपालन प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा।
(2) किसी कमी की स्थिति में, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खंड (भ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मान और मानक ऐसी कमी के विस्तार तक लागू होंगे, और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन किसी राज्य आयोग द्वारा उपबन्धित किए गए मानों और मानकों के साथ संचयी रूप से लागू नहीं होंगे।
परंतु नियम 2 में यथानिर्दिष्ट इकाइयों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी कमी के लिए शास्ति उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।
4. रिपोर्ट करना - ब्यूरो उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियम 2 में यथानिर्दिष्ट इकाइयों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा;
5. सत्यापन - ब्यूरो अनुपालन का सत्यापन करेगा तथा केन्द्रीय सरकार को यथा अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
6. अनुपालन की प्रक्रिया - (1) ब्यूरो या अभिहित अभिकरण के माध्यम से उक्त अधिनियम के अधीन अनुपालन का सत्यापन किया जाएगा और अनुपालन में असफलता के लिए उल्लंघन करने वाली इकाइयों को सूचना की तामील की जाएगी।
(2) ब्यूरो या अभिहित अभिकरण एक या एक से अधिक प्रतिनिधियों को न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करेगी।

7. राज्य आयोग का अधिकारिता - राज्य आयोग का न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित अधिकारिता क्षेत्र के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13क और धारा 14 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल होने पर न्यायनिर्णयन करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात्:-

- (क) धारा 14 के खंड (ख) में उल्लिखित साधित्रों, उपस्करों और यानों की दशा में, जहां विनिर्माता या आयातक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है;
- (ख) धारा 14 के खंड (ढ) के अधीन अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट उद्योगों की दशा में, जहां उद्योग या स्थापन अवस्थित है; और
- (ग) धारा 14 के खंड (भ) के अधीन अभिहित उपभोक्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट गैर-जीवाश्म उपभोग की दशा में, जहां अभिहित उपभोक्ता का उद्योग या स्थापन स्थित है, या रजिस्ट्रीकृत मुख्यालय जहां अनुपालन नियंत्री कंपनी स्तर पर किया जाता है।

8. केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि में जमा की जाने वाली शास्तियां - (1) नियम 2 में यथानिर्दिष्ट इकाइयों द्वारा देय सभी शास्तियां उक्त अधिनियम की धारा 20 में यथानिर्दिष्ट केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि में जमा की जाएंगी, जिसमें से नब्बे प्रतिशत राज्य सरकार को और दस प्रतिशत केन्द्रीय सरकार को अंतरित की जाएंगी, अर्थात् -

- (क) उक्त अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन यथानिर्दिष्ट साधित्रों, उपस्करों और यानों की दशा में, अनुपालन अवधि के दौरान विशिष्ट साधित्र, उपस्कर या यान के विनिर्माता या आयातक द्वारा कुल विक्रय में उसके अंश के अनुपात में संबंधित राज्य की समेकित निधि;
- (ख) उक्त अधिनियम की धारा 14 के खंड (ढ) के अधीन अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट उद्योगों की दशा में, उस संबंधित राज्य की समेकित निधि, जहां उद्योग या स्थापन अवस्थित है; और
- (ग) उक्त अधिनियम की धारा 14 के खंड (भ) के अधीन अभिहित उपभोक्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट गैर-जीवाश्म उपभोग की दशा में, संबंधित राज्य की समेकित निधि, जहां अभिहित उपभोक्ता का उद्योग या प्रतिष्ठान स्थापन है।

(2) अनुपालन के लिए वसूल की गई कोई रकम, जो धारा 26 के अधीन आच्छादित नहीं की गई है, केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि में जमा की जाएगी।

9. ब्यूरो का उत्तरदायित्व - ब्यूरो इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए, जो अपेक्षित हो सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

[फा. सं. 9/2/2023-ईसी-भाग(4)]

धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2025

G.S.R. 788(E).— Whereas the Energy Conservation Act, 2001 (hereinafter referred to as the said Act) was enacted to promote and mandate efficient use of energy and its conservation across all sectors of the economy and the said Act provides for the Bureau of Energy Efficiency (hereinafter referred to as the Bureau) as a statutory body established under the said Act;

And whereas section 26 of the said Act provides penalty in case of failure to comply with the provisions of sub-section (1) of section 13A, clause (c) or clause (d) or clause (h) or clause (i) or clause (k) or clause (l) of section 14, clause (c) or clause (h) of section 15 and section 52 of the said Act;

And whereas section 27 of the said Act provides for appointment of the adjudicating officer and section 28 of the said Act provides for factors to be taken into account by the adjudicating officer;

And whereas in order to avoid the difficulties of imposing of penalty by the adjudicating officer, it has become necessary or expedient to empower the Bureau to detect, verify, assess and represent non-compliance matters before the adjudicating officer appointed by the State Commission;

And whereas a draft notification to this effect was duly published in the Gazette of India on 4th August, 2025 for public consultation;

And whereas the objections and suggestions have been received from the public in response to the said draft notification and the same have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by clauses (e) and (v) of sub-section (2) of section 56 read with clause (u) of sub-section 2 of section 13, section 13A, section 14, clause (c) of sub-section (1) of section 20 and section 52 of the said Act, the Central Government, in consultation with the Bureau makes the following rules, namely: –

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Energy Conservation (Compliance Enforcement) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability. –These rules shall apply to the following entities, namely: –

(a) persons referred in section 13A of the said Act;

(b) manufacturers or importers mentioned in the clause (c) of section 14, designated consumers as specified under the clause (n) and clause (x) of section 14 of the said Act.

3. Norms and Standards. – (1) The Bureau shall be responsible for compliance enforcement with the norms and standards as specified by the Central Government.

(2) In the event of any shortfall, the norms and standards as specified by the Central Government under clause (x) of section 14 of said Act shall apply to the extent of such shortfall, and not cumulatively with any norms and standards provided by any State Commission under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003):

Provided that the penalty for any shortfall in achievement of targets by the entities as referred in rule 2, shall be imposed in accordance with provisions of the said Act.

4. Reporting. –The Bureau shall obtain the necessary information from the entities as referred in rule 2, in accordance with provisions of the said Act;

5. Verification. –The Bureau shall verify compliance and submit a report to the Central Government as required.

6. Process of compliance. –(1) The Bureau or through designated agencies shall verify compliance under the said Act and shall service notices to the contravening entities for failure to comply.

(2) The Bureau or the designated agency shall authorise one or more representatives to represent the matter before the adjudicating officer.

7. Jurisdiction of the State Commission. –The adjudicating officer of the State Commission shall be competent for adjudging for fails to comply with the provisions of sections 13A and 14 of the said Act, as per the following jurisdiction, namely: –

- (a) in case of appliances, equipment and vehicles mentioned in clause (b) of section 14, where the registered office of the manufacturer or importer is located;
- (b) in case of industries specified as designated consumers under clause (n) of section 14, where the industry or establishment is located; and
- (c) in case of non-fossil consumption specified for designated consumers under clause (x) of section 14, where the industry or establishment of the designated consumer is located, or the registered head office in case where compliance is undertaken at the holding company level.

8. Penalties credited in the Central Energy Conservation Fund. – (1) All penalties payable by the entities as referred in rule 2, shall be credited into the Central Energy Conservation Funds as referred in section 20 of the said Act, from which ninety per cent. shall be transferred to the State Government and ten per cent. to the Central Government, namely: –

- (a) in case of appliances, equipment and vehicles as specified under clause (b) of section 14 of the said Act, consolidated fund of the concerned State in proportion of its share of the total sales by the manufacturer or importer of the specific appliance, equipment, or vehicle during the compliance period;
- (b) in case of industries specified as designated consumers under clause (n) of section 14 of the said Act, consolidated fund of the concerned State where the industry or establishment is located; and
- (c) in case of non-fossil consumption specified for designated consumers under clause (x) of section 14 of the said Act, consolidated fund of the concerned State where the industry or establishment of the designated consumer is located.

(2) Any amount recovered towards compliance, not covered under section 26 of the said Act, shall be credited to the Central Energy Conservation Fund.

9. Responsibility of Bureau. –The Bureau shall take all necessary actions as may be required, for implementation of these rules.

[F. No. 9/2/2023-EC-Part(4)]

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer